उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः-6/2017/1827/24-पी-2-17-सा0(80)/16टीसी(अ)

लखनऊः दिनांकः 10 अक्टूबर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री संजय तिवारी, मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक, ओबरा तापीय परियोजना, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, सोनभद्र को निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

श्री संजय तिवारी को निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के पद पर एक वर्ष हेतु परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि मे संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर ही श्री संजय तिवारी की सेवाओं की निरन्तरता मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत प्राविधानों में उल्लिखित अवधि हेतु बनी रहेगी। उक्त अवधि में श्री संजय तिवारी का धारणाधिकार बना रहेगा।

2- श्री संजय तिवारी पर शासन द्वारा निर्गत सेवा शर्तें लागू होंगी।

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्याः-6/2017/1827/(1)/24-पी-2-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
4- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम एवं पारेषण निगम लि0, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
6- जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
7- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
8- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
9- सम्बन्धित अधिकारी।
10- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(इन्द्रराज सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः-6/2017/1827(2)/24-पी-2-17-सा0(80)/16टीसी(अ)

लखनऊः दिनांकः 10 अक्टूबर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री राजकुमार, मुख्य अभियन्ता (वितरण), बरेली जोन, बरेली को निदेशक (तकनीकी), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

श्री राजकुमार को निदेशक (तकनीकी), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ के पद पर एक वर्ष हेतु परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि मे संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर ही श्री राजकुमार की सेवाओं की निरन्तरता मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत प्राविधानों में उल्लिखित अवधि हेतु बनी रहेगी। उक्त अवधि में श्री राजकुमार का धारणाधिकार बना रहेगा।

2- श्री राजकुमार पर शासन द्वारा निर्गत सेवा शर्तें लागू होंगी।

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्याः-6/2017/1827/(3)/24-पी-2-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
4- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम एवं पारेषण निगम लि0, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ ।
6- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
7- जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, मेरठ।
8- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
10- सम्बन्धित अधिकारी।
11- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(इन्द्रराज सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in